न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री बृजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–275/2020 (GCMS No. 2020/00281) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. नारायण पुत्र श्री गिरवर जाति मीणा, निवासी कसियापुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली राज.।

..........अपीलान्ट

बनाम

1. मुरारी पुत्र गिरवर जाति मीणा निवासी कसियापुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)
2. विस्सो पुत्री गिरवर पत्नी मुरारी जाति मीणा निवासी नवलपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)
3. नारायणी पुत्री गिरवर पत्नी गिर्राज जाति मीणा निवासी कसियापुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)
4. **(मृतक)** बादामी बेवा गिरवर जाति मीणा निवासी कसियापुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)
5. ग्राम पंचायत लांगरा पंचायत समिति सपोटरा तामील जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लांगरा तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)

..........रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 21.06.2012 उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल अपील संख्या 03/12 उनवानी मुरारी बनाम विस्सो।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री डालचन्द लाटा, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 19.06.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल के आदेश दिनांक 21.06.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि मृतक गिरवर पिता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की विरासत का नामांतकरकरण संख्या 748 दिनांक 20.09.2004 को मृतक के वारिसान के नाम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया। वरोज स्वीकृत होने नामांतरकरण से मृतक गिरवर के वारिसान राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाते रहे हैं। तरतीवी रेस्पो. संख्या 2 व 3 द्वारा अपने अपने हिस्से की रिलीज डीड दिनांक 12.01.2012 को उपपंजीयक मण्डरायल के यहॉ निष्पादित कर रजिस्टर्ड की गई। रिलीज डीड के आधार पर अपीलांट के नाम 3/50 हिस्से का नामांतकरण संख्या 34 दिनांक 20.01.2012 ग्राम कसियापुरा ग्राम पंचायत लांगरा द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामांतरकरण को रेस्पो. संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.06.2012 से रेस्पो. संख्या 1 के पक्ष में अपील स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 34 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध यह अपील अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं आया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट को अपील पर एकतरफा सुना गया।

4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट की विरासत का नामांतकरकरण संख्या 748 दिनांक 20.09.2004 को मृतक के वारिसान के नाम स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल किया गया। वरोज स्वीकृत होने नामांतरकरण से मृतक गिरवर के वारिसान राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाते रहे हैं। तरतीवी रेस्पो. संख्या 2 व 3 द्वारा अपने अपने हिस्से की रिलीज डीड दिनांक 12.01.2012 को उपपंजीयक मण्डरायल के यहॉ निष्पादित कर रजिस्टर्ड की गई। रिलीज डीड के आधार पर अपीलांट के नाम 3/50 हिस्से का नामांतकरण दिनांक 20.01.2012 ग्राम कसियापुरा ग्राम पंचायत लांगरा द्वारा स्वीकृत किया गया। रेस्पो. संख्या 3 व 4 ने अपने अपने हिस्से की रिलीज डीड अपीलांट के हक में निष्पादित करने के कारण रेस्पो. संख्या 1 को नामांतरकरण संख्या 34 के विरूद्व अपील पेश करने का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं था। रेस्पो. सं. 1 का कोई संबंध नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी। नामांतरकरण संख्या 34 की जानकारी रेस्पो. सं. 1 को नामांतरकरण स्वीकृत होने के दिन से थी। नामांतरकरण संख्या 34 के कॉलम 9 में 3/50 हिस्से का अपीलांट व 1/50 हिस्से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

का रेस्पो. सं. 1 के नाम अंकन है तो रेसपो. संख्या 1 को किसी प्रकार के नोटिस व सूचना दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसी स्थिति में गैर मजाज व्यक्ति द्वारा किसी भी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय में मेन्टेनेविल नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण संख्या 748 जो विरासतन मृतक गिरवर के संबंध में स्वीकृत हुआ उसके निरस्तीकरण के आधार पर अपीलांट के हक में रिलीज डीड के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 34 निरस्त किया है जो न्याय संगत नहीं है। जब तक रिलीज डीड सक्षम न्यायालय (सिविल कोर्ट) द्वारा निरस्त नहीं होती है तब तक नामांतरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. संख्या 2 व 3 द्वारा निष्पादित रिलीज डीड को वॉइड करार देने की फाईन्डिंग विदआउट ज्यूरिडिक्शन देने में कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल दिनांक 21.06.2012 निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 34 बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि नामांतरकरण संख्या 34 के कॉलम संख्या 16 में अंकित किया गया है कि मुताबिक हक त्याग पत्र विस्सो, नारानी ने अपना हिस्सा भाई नारायन के हक में त्याग पत्र किया है। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी अंकन सही माना है। सरपंच द्वारा नामांतरकरण स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर निर्णय पारित किया है। मियाद के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर मियाद के संबंध में सिद्वांत प्रतिपादित किये गये हैं। रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में देरी का पर्याप्त कारण अंकित किया है। विरासत का नामांतरकरण से नारायन, मुरारी पुत्र गिरवर, बादामी बेवा गिरवर, नारनी, विस्सो पुत्रियान गिरवर के दर्ज हुये। नारानी व विस्सो द्वारा अपने हिस्से की रिलीज डीड अपने भाई नारायण के हक में निष्पादित की गई। जिसके आधार पर नामांतरकरण खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि " नामांतरकरण संख्या 34 दिनांक 20.01.2012 ग्राम कसियापुरा पूर्व ग्राम लांगरा के नामांतरकरण संख्या 748 दिनांक 20.09.2004 से मृतक गिरवर मीणा के विरासत नामांतकरण से रेस्पो. नं. 1 व 2 के नाम आराजीयात में दर्ज हूए है। जिसका निस्तारण अपील मु.नं. 2/2012 उनवानी मुरारी बनाम विस्सो बगैरा निर्णय दिनांक 21.06.2012 से हो चुका है और उक्त नामांतरकरण संख्या 748 दिनांक 20.09.2004

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई को तहसीलदार मण्डरायल को रिमाण्ड कर प्रति प्रेषित की जा चुकी है। जब मृतक गिरवर मीणा की विरासत में ही रेस्पो. नं. 1 व 2 को कानूनन हक उत्पन्न नहीं होते है तब उनके द्वारा दिनांक 12.01.12 को रेस्पोडेन्ट नं. 3 को किया गया हक त्याग पत्र स्वतः ही वेअसर हो जाता है। और ऐसे अवैध हक त्याग पत्र से रेस्पोडेन्ट नं. 3 को कोई हक प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 34 दिनांक 20.1.2012 अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाता है। पत्रावली पुनः सुनवाई को तहसीलदार मण्डरायल को प्रतिप्रेषित की जाती है।" इससे स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनिमय अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 (2) उपधारा (1) में निहित है कि किसी भी बात के बावजूद इस अधिनियम में शामिल कुछ भी संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के भीतर किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा, जब तक कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र, अन्यथा निर्देश देता है। जब अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार के नियम लागू नहीं है तो रेस्पो. संख्या 2 व 3 द्वारा हक त्याग किस आधार पर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 21.06.2012 यथावत जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर